डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 12/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सैलेबी/सी/दिल्ली/सीपी-III/2021-26/

परामर्श पत्र संख्या 12/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स सैलेबी डेल्ही कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीसीटीएमआईपीएल) द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 14 नवम्बर, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अत्यधिक अस्त–व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब इस क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहा है। इस महामारी के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक लग गई थी। अब कोविड के मामलों में कमी आने और हवाई यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद (28.03.2022 से) विमान यातायात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है।

इस पृष्ठभूमि में प्राधिकरण ने सीडीसीटीएम द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में दिए गए विभिन्न अनुमानों, विशेष रूप से अनुमोदित हवाई भाड़ा स्टेशन (एएफएस) से यूएलडीएस/बीयूपीएस के रूप में प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्गो की मात्रा, कार्गो मात्रा सहित, के अनुमान के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में प्रत्येक अध्याय में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 14.11.2022 के परामर्श पत्र संख्या 12/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in ; prabhjot.marwah@nic.in
प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**05/12/2022**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**14/12/2022**

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 9 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

सीडीसीटीएम के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारक के परामर्श के प्रयोजन से नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्ताव का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.7**	प्राधिकरण यह मानता है कि सीडीसीटीएम द्वारा आईजीआईए, दिल्ली में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवा **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** आधार पर टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।	9
अध्याय संख्या 3	**3.4**	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीडीसीटीएम द्वारा अनुमानित एएफएस की कार्गो मात्रा सहित कार्गो मात्रा को मानने का प्रस्ताव करता है।	13
अध्याय संख्या 4.	**4.7.1**	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स) के परिवर्धनों को मानने का प्रस्ताव करता है।	21
	4.7.2	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	4.7.3	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	4.7.4.	प्राधिकरण तालिका 9 के अनुसार सुरक्षा जमा पर वापसी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 5.	**5.7**	प्राधिकरण सीडीसीटीएम द्वारा तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	25
अध्याय संख्या 6.	**6.5**	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (1.1.2023 से 31.03.2025 तक) के लिए एएफएस कार्गो से भिन्न कार्गो के लिए लागू सामान्य अनुमोदित टीएसपी प्रभारों की तुलना में एएफएस कार्गो, नष्ट होने योग्य/ औषधीय/विशेष/मूल्यमान/खतरनाक कार्गो आदि सहित, के लिए 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभारों का प्रस्ताव करता है।	31
अध्याय संख्या 7.	**7.3.1**	प्राधिकरण सीडीसीटीएम के संबंध में तालिका 18 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	7.3.2	प्राधिकरण सीडीसीटीएम के संबंध में तालिका 19 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	35
	7.3.3	प्राधिकरण संलग्नक V के अनुसार 01.01.2023 से 31,03.2025 तक संशोधित टैरिफ दर कार्ड (एएफएस कार्गो के लिए लागू टीएसपी प्रभार सहित) को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 8.	**8.5**	प्राधिकरण तालिका 23 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व को मानने का प्रस्ताव करता है।	39

अध्याय 10 हितधारक परामर्श

10.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 9 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (**संलग्नक-I *से* V**) लगाए गए हैं।

10.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

10.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 9 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **05.12.2022** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)